

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 435/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 01.12.2025

साइबर क्राइम थाना जनपद आजमगढ़

फर्जी “PM KISAN YOJANA (.APK)” ऐप के माध्यम से अंतर्राज्यीय साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 02 सदस्य गिरफ्तार

₹7.77 लाख की ठगी का खुलासा – 03 मोबाइल, ₹26,500 नकद बरामद, ₹17.50 लाख बैंक राशि फ्रीज़

- □ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ। अनिल कुमार के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी तथा क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल के पर्यवेक्षण में साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।
- □ दिनांक 30.11.2025 को थाना साइबर क्राइम द्वारा पंजीकृत मुकदमा मु0अ0सं0 37/2025 धारा 318(4) BNS व 66D IT ACT में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
- □ यह गिरोह फर्जी “PM KISAN YOJANA (.APK)” ऐप भेजकर लोगों के मोबाइल हैक कर उनके बैंक खातों से धन की अवैध निकासी करता था।
- □ पीड़ित श्री करन गुप्ता, निवासी बिन्द्रा बाज़ार, गंभीरपुर, आजमगढ़ के व्हाट्सऐप नंबर पर 18.11.2025 को भेजे गए APK लिंक को इंस्टॉल करने के बाद उनके खाते से लगभग ₹7,77,000/- की अवैध निकासी कर ली गई थी।
- □ तकनीकी विश्लेषण, बैंक विवरण और संदिग्ध मोबाइल नंबरों की लोकेशन के आधार पर पुलिस टीम ने गिरोह के 02 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया। पूछताछ व बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 111(1), 317(2) BNS की बढ़ोतरी की गई है। अब तक की जांच में इनके विरुद्ध यूपी और महाराष्ट्र में 03 साइबर ठगी के मामले (NCRP कम्प्लेन) दर्ज पाए गए हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. परवेज अंसारी, पुत्र फकरुद्दीन अंसारी, निवासी ग्राम बरडीहा लाला, थाना खुखुन्द, जिला देवरिया वर्तमान पता : प्लॉट नं. 22, स्टार सिटी, उत्तरधौना, थाना बीबीडी, लखनऊ
2. मो0 कलीम, पुत्र अली हसन, निवासी उत्तरधौना, तिवारीगंज, थाना बीबीडी, लखनऊ

बरामदगी

03 मोबाइल फोन

₹26,500/- नगद

अभियुक्तों के बैंक खातों में लगभग ₹17,50,000/- की राशि फ्रीज़

अपराध करने का तरीका (Modus Operandi)

- □ अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि उनकी इंस्टाग्राम पर एक व्यक्ति मो. समद (पता अज्ञात) से दोस्ती हुई, जिसने उन्हें ठगी के धंधे से जोड़ लिया।
- □ समद 10% कमीशन के लालच में इनसे बैंक खाता, ATM कार्ड आदि गिरड़ीह (झारखंड) स्थित पते पर मंगवाता था।
- □ ठगी से प्राप्त धनराशि पहले इन खातों में आती थी, जिसके बाद अभियुक्त अपने हिस्से की रकम निकालकर गैंग के बताए अनुसार आगे ट्रांसफर कर देते थे।

फरार अभियुक्त

1. मो. समद (अज्ञात पता) – साइबर ठगी गिरोह का सक्रिय सदस्य

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक देवेन्द्र प्रताप सिंह, थाना साइबर क्राइम आजमगढ़
2. निरीक्षक विभा पाण्डेय, साइबर क्राइम आजमगढ़।
3. का० एजाज खान
4. का० सभाजीत मौर्य
5. का० महिपाल यादव
5. का० आलोक सिंह (सर्विलांस सेल)

.APK फाइलों से बचाव हेतु साइबर सुरक्षा परामर्श

- केवल अधिकृत ऐप स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करें।
- किसी भी अनजान लिंक से आई .APK फाइल इंस्टॉल न करें।
- सोशल मीडिया/व्हाट्सएप से आए ऐप लिंक कभी न खोलें।
- इंस्टॉलेशन के समय ऐप द्वारा मांगी गई permissions की जांच अवश्य करें।
- साइबर अपराध से संबंधित नये तरीकों के प्रति सतर्क और जागरूक रहें।

डिवाइस संक्रमित लगाने पर:

- संदिग्ध ऐप तुरंत हटाएँ
- मोबाइल को सेफ मोड में चलाएँ
- पूर्ण स्कैन कराएँ
- आवश्यक होने पर फेकट्री रीसेट करें (बैकअप लेकर)

